

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/246-2001-वि0 I (3) दिनांक चण्डीगढ़ 10-7-2001

बाबा बन्दा बहादुर पब्लिक स्कूल, रोहतक

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10 off स्तर की सम्बधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पुष्पांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 13-7-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक को उनके पत्र क्रमांक 23/246-5-2001/1356 दिनांक 11-6-2001 के सन्दर्भ में।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक बाबा बन्दा बहादुर पब्लिक स्कूल, रोहतक
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्यूसिटी सेंटर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 11002.

Secretary,

Baba Banda Bahadur Public School
ROHTAK

अधीक्षक विद्यालय-1/3

कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.

Principal,
Baba Banda Bahadur Public School
ROHTAK

Principal,
Baba Banda Bahadur Public School
ROHTAK